International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 28-09-2025, Accepted: 28-10-2025, Published: 12-11-2025
Volume 7, Issue 4, 2025, Page No. 74-76

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन

अमन कुमार[1], डॉ. प्रीति कुमारी[2]
[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, Aisect University, Hazaribag, Jharkhand, India
[2] असिस्टेंट प्रोफेसर, शोध निर्देशक, राजनीति विज्ञान, Aisect University Hazaribag, Jharkhand, India

सारांश
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान पर आधारित है, जो नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के सिद्धांत प्रदान करती है। भारतीय लोकतंत्र की नींव 26 जनवरी 1950 को रखी गई, जब भारत का संविधान लागू हुआ। इसमें "लोकतंत्र" को शासन की मूल भावना के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत का संविधान जनता की सर्वोच्चता को मान्यता देता है— "हम भारत के लोग..." से इसकी शुरुआत होती है, जो इस बात का प्रमाण है कि सत्ता का मूल स्रोत जनता है।

मूल शब्द: भारत, लोकतंत्र, संविधान, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, शासन व्यवस्था

भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएँ

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

भारत में प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या वर्ग का हो, 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मतदान का अधिकार रखता है। यह समानता का सर्वोच्च उदाहरण है।
अनुच्छेद 326 के तहत भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। पहले (1951–1988 तक) मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन (1988) द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया है।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसने हर नागरिक को शासन में भागीदारी का समान अवसर दिया है। यह व्यवस्था भारत को एक "जनता का, जनता द्वारा, और जनता के लिए" शासन बनाती है।

प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था

भारत में शासन "जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का" सिद्धांत पर आधारित है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में उसकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उन्हें शासन करने, नीति–निर्धारण करने तथा प्रशासन चलाने का अधिकार देती है।

उदाहरण

भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों में प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था लागू है। भारत में संसद (लोकसभा और राज्यसभा) तथा राज्य विधानसभाएँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनी हैं, जो जनता की ओर से शासन चलाती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

1. **जनसत्ता का सिद्धांत:** सत्ता का मूल स्रोत जनता होती है।
2. **निर्वाचन प्रणाली:** जनता नियमित अंतराल पर चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है।
3. **उत्तरदायी सरकार:** चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।
4. **संविधान का शासन:** शासन संविधान के दायरे में रहता है।
5. **राजनीतिक दलों की भूमिका:** राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेकर प्रतिनिधियों के चयन में अहम भूमिका निभाते हैं।
6. **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने और प्रतिनिधियों की आलोचना करने का अधिकार होता है।

शक्तियों का विभाजन

संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखा है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, जो नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। शक्तियों का विभाजन शासन की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका उद्देश्य यह है कि शासन की तीनों प्रमुख शाखाओं— विधायिका (Legislature), कार्यपालिका (Executive) और न्यायपालिका (Judiciary)— की शक्तियाँ अलग–अलग हों और वे एक–दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। इससे शासन में संतुलन बना रहता है और किसी एक संस्था के हाथ में अत्यधिक शक्ति एकत्र नहीं हो पाती है।

- शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत मोंतेस्क्यू (Montesquieu) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "The Spirit of Laws" (1748) में प्रतिपादित किया था।

शक्तियों का विभाजन के तीन अंग

1. **विधायिका (Legislature)**
   - कानून बनाना इसका मुख्य कार्य है।
   - **उदाहरण:** भारत में संसद (लोकसभा व राज्यसभा)।

2. **कार्यपालिका (Executive)**
   - कानूनों का पालन और प्रशासन चलाना।
   - **उदाहरण:** राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद।

3. **न्यायपालिका (Judiciary)**
   - कानून की व्याख्या करना और न्याय देना।
   - **उदाहरण:** सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय।

शक्तियों के विभाजन का उद्देश्य

- शक्ति के दुरुपयोग को रोकना।
- शासन में संतुलन और नियंत्रण बनाए रखना।
- नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना।
- सुशासन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।

भारत में शक्तियों का विभाजन

भारत में शक्तियों का कठोर विभाजन नहीं है, बल्कि लचीला विभाजन अपनाया गया है।

- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन तो है, पर संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है।

उदाहरण

- प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होता है (विधायिका व कार्यपालिका का मेल)।
- न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है।

मौलिक अधिकार और कर्तव्य

संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं— जैसे समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि.....। साथ ही नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की भी अपेक्षा की गई है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया हैं। ये नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करते हैं तथा उनसे अपेक्षित आचरण भी निर्धारित करते हैं। निम्नलिखित रुप से इनका संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण दिया गया है–

मौलिक अधिकार

संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनका उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उन्हें समान अवसर देना है।

प्रमुख 6 मौलिक अधिकार

1. समानता का अधिकार (Right to Equality): अनुच्छेद 14 से 18 तक

- सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं।
- जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है।
- अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत किया गया।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom): अनुच्छेद 19 से 22 तक

- विचार, अभिव्यक्ति, आंदोलन, संघ बनाने, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता।
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation): अनुच्छेद 23–24

- मानव तस्करी, बाल श्रम, और जबरन श्रम पर प्रतिबंध।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion): अनुच्छेद 25–28

- अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

5. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (Cultural and Educational Rights): अनुच्छेद 29–30

- अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार।
- अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता।

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies): अनुच्छेद 32

- नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
- डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे "संविधान की आत्मा" कहा है।

मौलिक कर्तव्य

संविधान के अनुच्छेद 51(A) में भाग IV–A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इन्हें 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य

1. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना।
2. स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना।
3. भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना।
4. देश की रक्षा करना और जब आवश्यकता हो तो सेवा देना।
5. सभी धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करना।
6. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधार की भावना विकसित करना।
7. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
8. उत्कृष्ट कार्य द्वारा देश की प्रगति में योगदान देना।
9. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना।
10. माता–पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएँ।
11. राष्ट्र की सामूहिक भावना को सुदृढ़ बनाना।

पहलू	मौलिक अधिकार	मौलिक कर्तव्य
उल्लेख	भाग III (अनुच्छेद 12–35)	भाग IV–A (अनुच्छेद 51A)
संख्या	6 प्रमुख अधिकार	11 कर्तव्य
उद्देश्य	नागरिकों की स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा	नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना
प्रकृति	न्यायिक (Court में लागू)	गैर–न्यायिक (नैतिक, परंतु महत्वपूर्ण)

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली

लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें होने वाले चुनाव कितने स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव वह माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपनी सरकार चुनती है।

अर्थ

- स्वतंत्र चुनाव प्रणाली का अर्थ है कि चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का बाहरी या सरकारी दबाव न हो।
- निष्पक्ष चुनाव प्रणाली का अर्थ है कि सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को समान अवसर मिले तथा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हों।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की विशेषताएँ

1. स्वतंत्र निर्वाचन आयोग

- भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो चुनावों का संचालन करती है।
- यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव में किसी का अनुचित प्रभाव न पड़े।

2. गोपनीय मतदान

- मतदाता अपने मत का प्रयोग गोपनीय रूप से करता है जिससे भय या दबाव का प्रभाव न हो।

3. समान मताधिकार
- प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्राप्त है।

4. राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर
- सभी दलों को प्रचार, सभा, और मीडिया उपयोग के समान अवसर दिए जाते हैं।

5. आचार संहिता
- चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

6. न्यायिक समीक्षा
- यदि चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती है तो न्यायालय में उसकी शिकायत की जा सकती है।

निर्वाचन आयोग की भूमिका
- चुनाव की तिथि तय करना।
- मतदाता सूची तैयार करना।
- चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति।
- मतगणना और परिणाम की घोषणा।
- आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना।

चुनौतियाँ
- धनबल और बाहुबल का प्रभाव।
- झूठे वादे और वोट बैंक की राजनीति।
- मतदाता सूची में अनियमितताएँ।
- सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार।

सुधार के उपाय
- चुनावी खर्च की सख्त निगरानी।
- मतदाता जागरूकता अभियान।
- ईवीएम और वीवीपैट जैसी पारदर्शी तकनीक का प्रयोग।
- दोषी प्रत्याशियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई।

निष्कर्ष
भारतीय लोकतंत्र ने अनेक उतार–चढ़ावों के बावजूद अपनी मजबूती बनाए रखी है। यह प्रणाली तभी सशक्त हो सकती है जब नागरिक सक्रिय, जागरूक और जिम्मेदार हों। लोकतंत्र केवल शासन की प्रणाली नहीं, बल्कि जीवन पद्धति होती है, जिसे निरंतर सुधार और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र अपनी विशालता, विविधता और जीवंतता के कारण अद्वितीय है। अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद यह व्यवस्था सशक्त रूप में बनी हुई है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी निष्ठापूर्वक पालन करें। लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि नागरिक चेतना और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यदि जनता सजग और उत्तरदायी होगी, तभी तो भारतीय लोकतंत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी अधिक सशक्त और प्रेरणादायक बन सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
डी. डी. बसु (D.D. Basu) – भारतीय संविधान का परिचय (Introduction to the Constitution of India) भारतीय संविधान, लोकतंत्र की कार्यप्रणाली एवं संस्थागत ढाँचे का विस्तृत विश्लेषण।

सुब्बा राव, वी. एन. – भारतीय शासन और राजनीति (Indian Government and Politics) शासन प्रणाली, राजनीतिक संस्थाएँ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर केन्द्रित अध्ययन।

डॉ. एन. डी. कपूर (Dr. N.D. Kapoor) लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, और शासन व्यवस्था के सैद्धांतिक पहलुओं का विश्लेषण।

डॉ. बी. एल. फडिया (B.L. Fadia) – भारतीय शासन एवं राजनीति (Indian Government and Politics) भारतीय लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली, दल प्रणाली एवं प्रशासनिक ढाँचे का विश्लेषण।

- भारत का संविधान – भारत सरकार प्रकाशन विभाग
- Election Commission of India – Reports and Publications
- Parliament of India – Lok Sabha & Rajya Sabha Debates
- Press Information Bureau (PIB) Releases